

28 ⁰⁵/₂₄ - पञ्जावली पेश हुई। वकुलाय उप०।
पञ्जावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के
अध्ययन व वकुलाय की बहस पर
मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी
स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश
पृथक् से लिखा गया। आदेश प्रति
TDR बाली व समस्त संबंधित
को पालनार्थ भिजवाई जावे। पञ्जावली
फैसल शुमार लेकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्‍व विविध प्रकरण GCMS NO 2023 / 266

दायरा तिथि : 18.10.2023

आदेश तिथि : 28-05-2024

प्रार्थी :-

श्री छगनलाल पुत्र देवाराम जाति भील निवासी सगालिया तहसील शिवगंज जिला सिरौही (राज.)

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 28-05-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 574 रकबा 0.7600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 627/575 रकबा 0.7276 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक,बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/1912 दिनांक 14.02.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

- यह है कि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 574 रकबा 0.7600 हैक्टर की भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। आवेदक खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
- प्रार्थी खातेदार को नजदीकी रास्ता प्रस्तावित रास्ते के अनुसार दिया जाना उचित है।
- यह है कि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

सहायक कलक्टर एवं फ़ैनेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1 627/575	0.7276 हैक्टर	गै.मु. भाखर	96x9.27= 889.92 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

- यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) की डी.एल.सी. दर 87,815 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।
- प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व पेशेकार सरकार की बहस सुनी गई।



// 02 //

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023 / 266

अनवान छगनलाल बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 574 रकबा 0.7600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1912 दिनांक 14.02.2024 से नया रेकॉर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 574 रकबा 0.7600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 627/575 रकबा 0.7276 हैक्टर में से 864 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अंतर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 87,815 /-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
627 / 575	0.7276 हैक्टर	96x9= 864 वर्गमीटर	9	7776 X2=15552	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 15552/- (अक्षरे पन्द्रह हजार पांच सौ बावन रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्राथीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2024/610-614
प्रतिलिपि निर्मांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, सेणा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री छगनलाल पुत्र देवाराम जाति भील निवासी सगालिया तहसील शिवगंज जिला सिरौही (राज.) को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक : 28-05-24

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली